


02/09/24

पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ता उभयपक्ष
टाजिरी प्रार्थी / प्रार्थी आधिवक्ता को शीप
प्रतिवादीगण की सम्मन डेलु रजिस्टर्ड
तलबी करवायी जानी थी, परन्तु बार-
बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी
प्रार्थी द्वारा शीप प्रतिवादीगणों / अपाधीगणों
के सम्मन के लिए रजिस्टर्ड तलबी
पेश नहीं की गई। प्रार्थी रजि० तलबी
डेलु डाक - खर्च देने में विफल रहा है।
अतः प्रार्थी का प्रा० फ्र अस्थाई निषेधाज्ञा
आदेश 09 नियम 02 सिविल प्रक्रिया संहिता
के तहत पौषणीय नदी होमै से खारिज
किया जाता है। पत्रावली फँसल शुमार
है दर्ज नम्बर से कम है। निर्णय आम
दिनांक 02/09/2024 को सरे इजलास
सुनाया गया।


सहायक जज

जयपुर सहायक जज